क्रम-संख्या—196

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

(22)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 अगस्त, 2004

श्रावण 27, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1234/सात-वि-1–1(क)14-2004

लखनऊ, 18 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 17 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 का खण्ड (क) 20 मई, 2004 को और खण्ड (ख) 7 जून, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 31 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में उपधारा (3) में,–

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ग) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जिसकी नियुक्ति प्राध्यापक/ अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना की गयी थी, कार्य परिषद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्ति किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक,–

(एक) 31 दिसम्बर, 1997 को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो,

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक से प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन 31 दिसम्बर, 1997 को पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखता हो,

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/ अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, ऐसे दिनांक को, जैसा कार्य परिषद् विनिर्दिष्ट करें, ऐसा पद धारण नहीं करेगा।"

(ख) खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखता हो;"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2004 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 में किसी राज्य विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था है। उक्त अधिनियम में किसी राज्य विश्वविद्यालय में किसी अध्यापक की तदर्थ नियुक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) और (8) में अत्यावश्यक मामलों में और अवकाश रिक्तियों में अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था थी। इन उपबन्धों के अधीन कतिपय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक नियुक्त किये गये थे और समय-समय पर उनके कार्यकाल को बढ़ाया भी गया था। उक्त प्राध्यापकों की निरन्तर मांग पर ऐसे प्राध्यापकों को, जो 30 जून, 1991 को या उसके पूर्व अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के

अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना नियुक्त किये गये थे और जो अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से इस रूप में निरन्तर कार्य कर रहे थे, मौलिक रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, मौलिक नियुक्ति देने की व्यवस्था करने के लिए और अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति प्रणाली को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1992) अधिनियमित किया गया। तत्पश्चात् कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी परिनिबमावलियों में अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिए नियुक्त किये जाने का प्राविधान कर लिया गया जो उनकी विद्या परिषद् की राय में अध्यापन कार्य के हित में अथवा अन्य कारणों से आवश्यक थे। ऐसे अंशकालिक प्राध्यापक उतना वेतन पाने के हकदार थे जो पद के, जिस पर वे नियुक्त किये गये हों, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 1685/70-1-2000-15(40)/2000, दिनांक 9 अक्टूबर, 2000 में परिनियमावलियों में से अंशकालिक प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित उपबन्ध निकालने के लिए विश्वविद्यालयों को निर्देश निर्गत किये गये थे फिर भी कतिपय विश्वविद्यालयों की विद्या परिषद् द्वारा शिक्षा प्रदान करने के हित को देखते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों को, जो 31 दिसम्बर, 1997 को या उसके पूर्व प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में चयन समिति को निर्देश दिये बिना नियुक्त किये गये थे, मौलिक रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये जा सकने की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चिय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 मई, 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात् उपर्युक्त उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2004 के हिन्दी पाठ में लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध करने के लिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 जून, 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1234(2)/VII-V-1–1 (Ka) 14-2004
Dated Lucknow, August 18, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 13, 2004.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 23 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2004.

(2) Clause *(a)* of section 2 shall be deemed to have come into force on May 20, 2004 and clause *(b)* on June 7, 2004 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 31 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. In section 31 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3),—

(a) for clause *(c)* the following clause shall be *substituted,* namely :—

"*(c)* Any teacher of the University who was appointed as Lecturer/part time Lecturer on or before December 31, 1997 without reference to the Selection Committee by way of a short term or part time arrangement in accordance with the provisions for the time being in force for such appointment, may be given substantive appointment by the Executive Council, if any substantive vacancy of the same cadre and grade in the same department is available if such teacher—

(i) is serving as such on December 31, 1997 continuously since such initial appointment by way of short term/part time arrangement;

(ii) possessed the qualifications required for regular appointment to the post under the provisions of the relevant Statutes in force on the date of the substantive appointment;

(iii) has been found suitable for regular appointment by the Executive Council.

A teacher appointed by way of short term/part time arrangement as aforesaid who does not get substantive appointment under this clause shall cease to hold such post on such date as the Executive Council may specify."

(b) in clause *(c) for* sub-clause *(ii)* the following sub-clause shall be *substituted,* namely :—

"*(ii)* possesses the qualifications required for regular appointment to the post under the provisions of the relevant Statutes in force on the date of substantive appointment."

Repeal and saving.

3. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2004 and the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2004 are hereby repealed. U.P. Ordinance no. 3 of 2004 U.P. Ordinance no. 6 of 2004

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 31 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 provides for the appointment of teachers in a State University. There is no provision for *ad-hoc* appointment of a teacher in a State University in the said Act but sub-sections (6) and (8) of section 13 of the said Act provided for the appointment of Lecturers in the University by way of short term arrangement in the matters of urgency and leave vacancies. Under these provisions Lecturers were appointed in certain Universities and the terms thereof were also extended from time to time. On persistant demand by the said Lecturers the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1992 (U.P. Act no. 1 of 1992) was enacted to provide for giving substantive appointment to such Lecturers as were appointed on or before June 30, 1991 by way of

short term arrangement without reference to the Selection Committee constituted in accordance with the provisions for the time being in force and who were continuously serving as such from the date of their initial appointment subject to the availability of substantive vacancies and for abolishing the system of appointment of teachers by way of short-term arrangement. Thereafter provisions for the appointment of part time Lecturers were made by certain Universities in their Statutes for such subjects as were, in the opinion of Academic Council thereof, necessary in the interest of teaching or for other reasons. Such part time Lecturers were entitled to get pay not exceedings half of the initial pay of the posts to which they were appointed. Although the State Government had issued instructions in G.O. no. 1685/70-1-2000-15(40)-2000, dated October 9, 2000 to the Universities to omit the provisions relating to the appointment of part time Lecturers from the Statutes, but were not complied with by the Academic Council of certain Universities in the interest of imparting education. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for giving substantive appointment by the Executive Council to such teachers of the University who were appointed as Lecturer/part time Lecturer on or before December 31, 1997 without reference to the Selection Committee by way of short-term or part time arrangement subject to the availability of substantive vacancy.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2004 (U.P. Ordinance no. 3 of 2004) was promulgated by the Governor on May 20, 2004.

Thereafter the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2004 (U.P. Ordinance no. 6 of 2004) was promulgated by the Governor on June 11, 2004 to correct the clerical mistake in the Hindi version of the aforesaid U.P. Ordinance no. 3 of 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 370 राजपत्र (हि0)–2004–(1024)–597 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 159 सा० विधायी–2004–(1025)–850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।